



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/भ.शा. /2026/2193

भोपाल, 03/08/2026

दर-आमंत्रण

प्रति,

-----,
-----,
-----,

विषय : विश्वविद्यालय के बिसनखेड़ी परिसर स्थित चीलर प्लांट के लिए पानी आपूर्ति हेतु नयी पानी की टंकी क्रय किये जाने के लिए दरें आमंत्रित।

विश्वविद्यालय के बिसनखेड़ी स्थित चीलर प्लांट के लिए पानी आपूर्ति हेतु नयी पानी की टंकी क्रय किये जाने के लिए दरें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता अपनी दरें “कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल” के नाम से दिनांक 03-08-2026 को अपरान्ह 3.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/कोरियर/पत्रवाहक के माध्यम से विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा, चाणक्य भवन, प्रथम तल, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, माखनपुरम परिसर, म.प्र.शूटिंग अकादमी के पास, बिसनखेड़ी, भोपाल- 462044 (म.प्र.) के पते पर भेज सकते हैं। पानी की टंकी का विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	सामग्री का विवरण	संख्या (नग)	कुल वारंटी अवधि	कुल उल्लेखित राशि समस्त कर सहित
1.	Sintex 10000 (दस हजार) लीटर 10 लेयर	01		
या/OR				
2.	Vectus 10000 (दस हजार) लीटर 10 लेयर	01		
या/OR				
3.	Plasto 10000 (दस हजार) लीटर 10 लेयर	01		

नियम व शर्तें :-

1. Sintex, Vectus या Plasto में से कोई एक पानी की टंकी क्रय की जावेगी। विश्वविद्यालय की विभागीय समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा कि कौन-सी पानी की टंकी क्रय किया जाना है।
2. निर्धारित समयावधि के पश्चात् फर्मों से प्राप्त दरों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय के बिसनखेड़ी परिसर स्थित निर्धारित स्थान एवं समय पर सामग्री उपलब्ध कराना होगा।
4. फर्म/संस्था/प्रोपाइटर का जी.एस.टी. नंबर तथा पैन कार्ड संलग्न करें।
5. किसी भी दर आमंत्रण निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।
6. सामग्री की गुणवत्ता अपेक्षित मानदण्डों के अनुरूप न होने पर भुगतान देय नहीं होगा।
7. कार्य आदेश जारी करने के 3 कार्यालयीन दिवस में सामग्री की आपूर्ति विश्वविद्यालय में करनी होगी।
8. भुगतान हेतु देयक तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे।
9. सामग्री की वारंटी अवधि का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा।

(प्रो. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव